कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 67 / 1-13 देहरादून दिनांक, 22 जनवरी, 2022

पदोन्नति / तैनाती

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, उत्तराखण्ड के वनादेश सं0 55 / 1-12(29) एच0आर0डी0 दिनांक 05-01-2022 से पात्रता मे शिथिलीकरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1185 / 1-12 दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रधान सहाक के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 10-01-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित **वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू0 29200-92300 वेतन मैट्रिक्स लेविल-5 के कार्मिकों को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेविल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति** जनहित में की जाती है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	श्री रविन्द्र कुंवर	अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, देहरादून
2	श्रीमती मिथलेश	मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी
3	श्री सन्तोष जोशी	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

नोट– *कार्मिक कोरोना काल एवं विधान सभा निर्वाचन 2022 हेतु लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत अपने तैनाती कार्यालय में ही पदोन्नति के पद पर योगदान देगें। संबंधित अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक, अपने अधिनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यक हो तो चुनाव आचार सहिंता के पश्चात अलग से तैनाती आदेश करेगें।*

3. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

4. शासनादेश सं0 206 / XXX(2) / 2020 / 30(13) / 2017 टी0सी0 दिनांक 31-08-2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 19(2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को न्यूनतम 02 वर्ष अर्थात दिनांक 30-06-2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिन कार्मिकों ने अपने सेवाकाल के आधे भाग की सेवा दुर्गम स्थान पर नही की गयी है तथा अधिनियम की धारा-7 खण्ड 'घ' से आचछादित नही हैं और **उन्हें सुगम से सुगम स्थान में तैनाती दे दी गयी नियंत्रक अधिकारी द्वारा उनकी पदोन्नति तभी स्वीकार की जाय जब वह इस आशय का बंधक पत्र प्रस्तुत करेगें** कि भविष्य में उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार दुर्गम स्थल की सेवा पूर्ण करने हेतु उनका स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति उपरान्त तैनाती दुर्गम स्थल में होने पर वह कोई अपत्ति नही करेगें। **यदि किसी कार्मिक द्वारा उक्त बंधक पत्र नही दिया जाता तो उनसे दुर्गम क्षेत्र में तैनाती का विकल्प प्राप्त कर इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि कार्मिक का तैनाती आदेश संशोधित किया जा सके।**

3. संबंधित कार्मिक अपनी पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि **से 15 दिन के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के** अधीन अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है और कार्मिक का **पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा ।**

4. कार्मिकों की पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त / योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 1366 (1) / 1-13 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मु0व0सं0, निगरानी, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, देहरादून, को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
3. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
4. सम्बन्धि मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. अधिष्ठान / गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
उत्तराखण्ड, देहरादून।